30.10.25

Satwar Ram

Ishwar

अधीक्षण
सहायक कोषाधिकारी
नि०

वकील श्री महीपाल जोशी द्वारा वादिया
की ओर से कार्यवाही पत्र किया गया
वादिया द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि परिवादिय
के पुनः वाद पत्र करने के अधिकार को
संरक्षित रखते हुए स्वतंत्र वाद पत्र की
कार्यवाही वापसी स्टेज पर ड्रॉप करने की
कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया को
पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान
कर इस वाद को इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर
न्यायालय हो। बाद तकमील जाब्ता
दाखिल अभिलेखागार हो।